वेबिनार

समग्र यौनिकता शिक्षण (CSE)

किशोरों के यौन स्वास्थ्य व अधिकारों को बढ़ावा देने और छोटी उम्र में जबरन बाल विवाह व यौन सम्बन्धों की रोकथाम की दिशा में जेंडर विचारों में बदलाव में सहायक उपयोगी टूल

वक्ताः **एलीजाबेथ अमोण्डी ओकुमम,** *ट्रस्ट फॉर इंडिजिनस कल्चर अँड हैल्थ (TICAH), केन्या;* **रोसलबा करीना क्रिसोस्तोमों,** *कोमुनिदाद दे लेसबियानास इंक्लूसिवास डोमिनिकनस (COLESDOM) दी डॉमनिकन रिपब्लिक;* **नरगिजा नूरलन क्यजी,** *नेशनल फैडरेशन फॉर फीमेल कमुनिटीज ऑफ किर्गिज़्स्तान (NFFCK) किर्गिज़्स्तान;* **एउनिस गार्सिया,** *यूथ कोयलिशन फॉर सेक्सुयल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स;* **तमारा क्रैनिन,** *डेविड एंड लूसिल पैकर्ड फाउंडेशन; वेबिनार संचालनः* **मानक मटियानी,** *दी वाईपी फाउंडेशन, भारत*

प्रमुख संदेश

समग्र यौनिकता शिक्षण (CSE) से युवा लोगों को अपने स्वास्थ्य से जुड़े सही निर्णय लेने में और अपने यौन एवं प्रजनन अधिकारों के प्रयोग कर पाने के लिए सटीक वैज्ञानिक जानकारी मिलती है। समग्र यौनिकता शिक्षण (CSE) के अंतर्गत यौनिकता के व्यक्तिगत और सामाजिक पहलुओं पर सोच विचार किया जाता है और छोटी उम्र में जबरन बाल विवाह तथा यौन सम्बन्धों (CEFMU) को रोक पाने में सक्षम जेंडर विचारों में बदलाव के लिए बहु–उपयोगी व सहायक होती है।

दी चाइल्ड, अर्ली अँड फोर्स्ड़ मैरेज अँड यूनियंस तथा सेक्सुऐलिटी वर्किंग ग्रुप नें इस वेबिनार में अपने अनुभवों, विचारों और समग्र यौनिकता शिक्षण पर अपने सुझाव देने के लिए सिविल सोसाइटी और लोक कल्याण में लगे संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। विविध कार्यों में लगे इन सभी प्रतिभागियों के एक साथ मिलकर विचार करने के परिणामस्वरूप अनेक ऐसे साझा सुझाव और विचार निकल कर सामने आए जिससे कि समग्र यौनिकता शिक्षण के प्रति अधिकारों पर आधारित, यौनिकता उन्मुख दृष्टिकोण तैयार करने में मदद मिली जिसमें युवाओं की प्राथमिकताओं, उनकी सहभागिता और नेतृत्व को प्रमुखता दी गयी।

युवाओं के नेतृत्व में समग्र यौनिकता शिक्षण को लागू कर रहे और इसकी पैरवी करने वाले समूहों और सिविल सोसाइटी संगठनों की आवाज को प्रमुखता देने और समग्र यौनिकता शिक्षण के लिए फंडिंग उपलब्ध कराने वाली धनदाता संस्थाओं को इस कार्य के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से *दी चाइल्ड, अर्ली अँड फोर्स्ड़ मैरेज अँड यूनियंस तथा सेक्सुऐलिटी वर्किंग ग्रुप* द्वारा इस ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया था।

वेबिनार के दौरान विभिन्न वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों का सारांश इस प्रकार हैः

समग्र यौनिकता शिक्षण क्यों जरूरी है?

1. युवाओं, विशेषकर किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं की यौनिकता को नियंत्रण में रखे जाने से छोटी उम्र में जबरन बाल विवाह और यौन सम्बन्धों (CEFMU) को बढ़ावा मिलता है। वक्ताओं नें जातिगत पवित्रता और कौमार्य को सुरक्षित रखने (भारत), गर्भवती लड़कियों के सामने उन्हें गर्भवती बनाने वाले व्यक्ति से विवाह करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प न होना (केन्या), धर्म की कठोरता से कड़ी व्याख्या करना (किर्गिज़्स्तान), और LGBTQI+ रुझान रखने वाले युवा लोगों को जबरन विषमलैंगिक सम्बन्धों के लिए मजबूर करना (डोमिनिकन रिपब्लिक) के बारे में कई उदाहरण प्रस्तुत किए। इन सभी उदाहरणों का उद्देश्य उनके देश में सभी समुदायों या घटनाओं की व्याख्या करना नहीं था, बल्कि यौनिकता पर नियंत्रण किए जाने के अनेक तरीकों की ध्यान आकर्षित करना था और यह बताना था कि छोटी उम्र में जबरन विवाह और यौन संबंध किन कारणों से देखने को मिलते हैं।

2. समग्र यौनिकता शिक्षण देने से युवाओं के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होता है और उनकी सामाजिक स्थिति भी बेहतर होती है। समग्र यौनिकता शिक्षण के लिए धन उपलब्ध करवाने वाली फंडिंग संस्थाओं को चाहिए कि वे समग्र यौनिकता शिक्षण के इन महत्वपूर्ण लेकिन कठिनाई से मापे जाने वाले परिणामों पर भी अधिक ध्यान दें। ऐसे ही कुछ परिणामों के दूसरे उदाहरण और धनदाता ऐजेंसियों और सरकारों के लिए सिफारिशें आगे दी गयी हैं।

3. **जेंडर व यौनिकता के इर्द–गिर्द भ्रामक व क्षतिपूर्ण सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देने** पर जानकारी पाने की दिशा में समग्र यौनिकता शिक्षण एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इन मिथक धारणाओं के कारण ही युवा लोगों, खासकर महिलाओं, लड़कियों तथा जेंडर पहचान के अनुरूप यौनिक रुझान न रखने वाले युवाओं को अपनी शिक्षा, संबंधों और स्वास्थ्य के बारे में सही निर्णय ले पाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सही अर्थ में समग्र यौनिकता शिक्षण में न केवल सेक्स और यौनिकता के बारे में सही, सम्पूर्ण और वैज्ञानिक जानकारी शामिल होती है, बल्कि **इसमें जेंडर, सत्ता, पितृसत्ता, भेदभाव, सहमति और शारीरिक स्वायत्तता जैसे सामाजिक पहलुओं पर भी विचार किया जाता है।** समग्र यौनिकता शिक्षण से लड़कियां व महिलायें सेक्स, संबंधों और स्वास्थ्य विषयों के बारे में अपने फैसले खुद लेते हुए अपने शरीर पर अपना नियंत्रण रख सकती हैं। इससे युवा लोगों को भी परस्पर आदरपूर्ण, हिंसा रहित स्वस्थ संबंध कायम करने में सहायता मिलती है।

4. लड़कियों की क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित समग्र यौनिकता शिक्षण से **लड़कियों में नेतृत्व गुण और एकजुटता विकसित की जा सकती है।** केन्या और किर्गिस्तान के वक्ताओं नें वेबीनार में अपने समुदायों में लड़कियों द्वारा शुरू किये गए सामूहिक प्रयासों की जानकारी दी। उनके इन प्रयासों में हमउम्र साथियों और समुदाय के लोगों को युवाओं के यौन एवं प्रजनन अधिकारों (SRHR) के बारे में बताना भी शामिल है। समग्र यौनिकता शिक्षण कार्यक्रमों में युवा लोग यौनिक विविधता के बारे में जान पाते हैं और समाज में व्याप्त पूर्वाग्रहों, पक्षपात और मिथकों को समाप्त कर पाने के बारे में सीखते हैं। वे अपने आसपास के लोगों को भी **यौनिक रुझानों और जेंडर पहचान की विविधता का आदर करने के** बारे में जागरूक कर सकते हैं। एक वक्ता के अनुसार, समग्र यौनिकता शिक्षण पाने से लोग "बेहतर प्रेमी, बेहतर अविभावक और बेहतर नागरिक बन सकते हैं ।"

5. गुणवत्ता पूर्ण **समग्र यौनिकता शिक्षण हिंसा की घटनाओं को कम करने में भी सहायक होता है। इससे जेंडर की पारंपरिक भूमिकाओं के अनुरूप व्यवहार न कर रहे युवा लोगों को प्रति होने वाली हिंसा में भी कमी** आती है। डोमिनिकन रिपब्लिक में COLESDOM द्वारा जेंडर के आधार पर LGBTQI+ लोगों के साथ होने वाली हिंसा तथा यौनिकता के बीच संबंध विषय पर किये गए शोध से पता चला कि अपने यौनिक रुझानों और जेंडर पहचान के कारण वहाँ कम उम्र के युवाओं को उनके घरों और स्कूलों से बाहर निकाल दिया जाता रहा है।

6. कानून, सांस्कृतिक मानकों और लोगों के व्यक्तिगत विचारों में भिन्नता के कारण ही छोटी उम्र में जबरन विवाह व यौन संबंधों को बढ़ावा मिलता है और इसके कारण युवा लोगों, खासकर अविवाहित किशोर उम्र की लड़कियों का यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकार प्रभावित होते हैं। समग्र यौनिकता शिक्षण में जब युवा लोगों पर ध्यान देते हुए साथ ही साथ उनके अविभावकों, अध्यापकों, समुदाय प्रमुखों और सेवा प्रदाताओं को भी युवाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकारों की जानकारी दी जाती है तो इससे अनेक तरह से जेंडर आधारित भेदभाव खत्म हो सकता है जिसके कारण लड़कियों को छोटी उम्र मे विवाह और यौन संबंध बनाने के लिए विवश होना पड़ता है और उनके अधिकारों का हनन होता है। युवा लोगों की यौनिकता पर नियंत्रण रखना, उनके अधिकारों और स्वतंत्र का हनन करने जैसा है, इससे वे जानकारी पाने से वंचित हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि छोटी उम्र में जबरन विवाह और यौन संबंध जैसी प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है फिर चाहे विवाह के लिए कानून के तहत न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया हो अथवा नहीं।

7. बहुत सी परिस्थितियों में, जहां **सेक्स के लिए सहमति देने की उम्र और विवाह की न्यूनतम उम्र स्पष्ट नहीं होती और जहां विवाह से पहले सेक्स करने को निषिद्ध समझा जाता है, वहाँ समग्र यौनिक शिक्षण और युवाओं के लिए यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में, किशोरों को यौन स्वास्थ्य, संबंधों, गर्भ जैसे अनचाहे परिणामों और यौन संचारित संक्रमण आदि के बारे में सलाह,** मार्गदर्शन और जानकारी नहीं मिल पाती और वे अपने जीवन और शरीर के बारे में खुद से कोई निर्णय ले पाने में खुद को असमर्थ पाते हैं।

समग्र यौनिकता शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए धनदाता एजेंसियाँ और सरकारें क्या कर सकती हैं?

8. समग्र यौनिकता शिक्षण के प्रभावों और इसकी प्रासंगिकता को स्वीकार करने के **अनेक साक्ष्य मौजूद हैं** और इनकी गिनती लगातार बढ़ रही है, लेकिन फिर भी इस विषय पर समग्र, समावेशी और यौनिकता के समर्थन में प्रयास शुरू करने में संकोच दिखाई पड़ता है। कमोबेश सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियाँ इसके कारण हैं। **पूरी दुनिया में सरकारों को चाहिए कि वे सभी युवा लोगों के लिए, उनकी छोटी उम्र से ही गुणकारी किशोर उन्मुख यौन एवं प्रजनन सेवाएँ और सही मायने में समग्र यौनिकता शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करवाएँ।** समग्र यौनिकता शिक्षण में जेंडर और यौनिकता, यौन रुझानों और जेंडर पहचान की विविधता, एचआईवी/एड्स और दिवयांगजनों के अधिकार आदि सभी विषयों का समावेश होना चाहिए ताकि युवा लोगों को अपने जीवन में डर, भ्रम, सामाजिक अपेक्षाओं के बंधन आदि से मुक्ति मिल सके। **धनदाता एजेंसियों और सरकारों को आज यह समझ लेने की जरूरत है कि समग्र यौनिकता शिक्षण के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत पाठ्यक्रम से कुछ विषयों और सामग्री को निकाल देने के कितने नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं।**

9. स्कूलों में समग्र यौनिकता शिक्षण देना जरूरी है, लेकिन केवल ऐसा कर देने से ही इसकी सभी जरूरतें अपने आप में पूरी नहीं हो जाएंगी। दी यूथ कोएलिशेन फॉर सेक्सुयल अँड रिपरोडक्टिव राइट्स नें स्कूलों में समग्र यौनिकता शिक्षण लागू करने में आने वाली चुनौतियों के जिक्र किया; हो सकता है कि स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला समग्र यौनिकता शिक्षण का पाठ्यक्रम समय की जरूरतों के अनुरूप न हो; या फिर स्कूल में शिक्षक पाठ्यक्रम के को पूरी तरह से लागू करने में दिलचस्पी न रखते हों। धनदाता एजेंसियों और सरकारों को चाहिए कि वे **युवाओं और लड़कियों के नेतृत्व में चल रहे ऐसे संगठनों, नेटवर्क्स और सामाजिक संस्थाओं** को आगे बढ़ाने में निवेश करे जो हमउम्र साथियों, परिजनों, समुदायों के बीच व्यक्तिगत रूप से शिक्षण देने और ऑनलाइन शिक्षण, दोनों तरह से पाठ्यक्रम लागू करते हों। इस तरह के संगठन और नेटवर्क उन युवा लोगों तक भी पहुँच रखते हैं जो स्कूलों में नहीं पढ़ते या फिर ऐसे युवा जो स्कूलों में तो हैं लेकिन इन विषयों पर जानकारी पाने के लिए स्कूल से बाहर किसी स्थान को अधिक पसंद करते हैं।

इन संस्थाओं की पहुँच पारंपरिक धर्म प्रमुखों तक भी होती है, वे पुरुषों और लड़कों से पितृसत्ता व्यवस्था और जेंडर असमानता बढ़ाने में उनकी भूमिका पर भी बातचीत कर सकते हैं। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकारों (SRHR) को बढ़ाने के लिए ऐसे संगठन हर आयु वर्ग, पहचान और क्षमता वाले लोगों के साथ मिलकर काम करते हुए उनके नजरिये में बदलाव ला सकते हैं। सही मायने में एक व्यवस्थित और समग्र कार्ययोजना अपनाने से उन लोगों के **संभावित विरोध** को भी कम किया जा सकता है जो यौन एवं प्रजनन अधिकारों और युवाओं में विविधता अपनाने की स्वतन्त्रता के विरोधी हैं।

10. युवाओं को लक्षित समहू न मानकर उन्हें विषय के विशेषज्ञ समझा जाना उचित होगा। सरकारी स्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पर और अन्यत्र, निर्णय लेने की हर प्रक्रिया में युवाओं को यथोचित स्थान दिया जाना चाहिए। समग्र यौनिकता शिक्षण को प्रगतिशील और प्रासंगिक बनाए रखने और स्थानीय संस्कृति के प्रति आदरपूर्ण बनाए रखने के लिए जरूरी है कि युवाओं की कुशलताओं को प्रयोग में लाया जाये।

11. धनदाता एजेंसियों को चाहिए कि वे समग्र यौनिकता शिक्षण के सामाजिक प्रभावों को प्राथमिकता देते हुए इन पर अधिक ध्यान दें और सिविल सोसाइटी संस्थाओं व युवा संगठनों के साथ मिलकर काम करते हुए यह जानने की कोशिश करें कि ये संगठन सफलताओं को किस तरह से परिभाषित करते और आँकते हैं और अपने काम से अधिक सीख पाने के लिए इसका मूल्यांकन किस तरह से करते हैं। सामाजिक मान्यताओं में बदलाव जैसे प्रभावों को पाने के लिए जरूरी है कि ढीर्घकालिक फंडिंग की व्यवस्था हो, प्रमुख गतिविधियों में पूरा सहयोग किया जाये और फंडिंग की प्रक्रिया आवश्यकता अनुसार लचीली हो। किसी कार्यक्रम के सामाजिक प्रभाव पूरी तरह से दिखाई देने में ज़्यादा समय लग सकता है और जरूरी नहीं है कि ये बिलकुल आपकी तय योजना के अनुरूप ही दिखाई देने लगें। फंडिंग एजेंसियों से उम्मीद की जाती है कि वे संगठनों को अपने काम में जोखिम उठाने, नए प्रयोग करने की भी पूरी छूट दें जिससे कि वे जान पाएँ कि उनके संदर्भ में कौन सी कार्ययोजनाएँ बहुत सफल होती हैं और कौन सी नहीं। इसके अलावा,अनेक सिविल सोसाइटी संगठन यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकारों से जुड़ी नीतियों में सुधार करवाने के लिए पैरवी कार्य भी करते हैं, लेकिन अक्सर इस तरह के पैरवी कार्यों के लिए धनदाता एजेंसियाँ फंडिंग नहीं करती क्योंकि इन पैरवी कार्यों के परिणाम हमेशा निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार नहीं होते। फंडिंग करने के फैसले यदि इन प्राथमिकताओं के आधार पर लिए जाएँ तो निश्चित तौर पर समग्र यौनिकता शिक्षण को अधिक प्रभावी रूप में लागू किया जा सकता है।

वेबिनार में पैनेलिस्ट संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही संसाधन सामाग्रीः

- दी वाईपी फाउंडेशन द्वारा 9 से 13 वर्ष की आयु के लिए (14 आयु के लिए भी शीघ्र ही उपलब्ध होगा) समग्र यौनिकता शिक्षण पाठ्यक्रम – नो यूअर बॉडी, नो यूअर राइट्स – यह प्रिंट तथा डिजिटल प्रारूप, दोनों में अँग्रेजी व हिन्दी भाषाओं में उपलब्ध है।
- दी वाईपी फाउंडेशन की समग्र यौनिकता शिक्षण कॅम्पेन किट
- COLESDOM की शोध सामग्री
- TICAH का समग्र यौनिकता शिक्षण पर विडियो
- जेनेरेशन ईकुयालिटी फॉरम का यंग फेमिनिस्ट मनीफेस्टो
- यू–ट्यूब पर इस वेबिनार की विडियो रिकॉर्डिंग

इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए, कृपया साराह ग्रीन से SGreen@ajws-org पर संपर्क करें।

आयोजनकर्ताः दी चाइल्ड, अर्ली अँड फोर्स्ड् मैरेज अँड यूनियन तथा सेक्सुयलिटी वर्किंग ग्रुप*, 25 मई 2021

संचालक ग्रुप

वक्तागण

*इस वर्किंग ग्रुप में किशोर उम्र की लड़कियों से बीच और उनके लिए, उनके अधिकारों और मिलने वाले अवसरों को बढ़ाने की दिशा में काम रहे अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। संसाधन सामग्री विकसित करने के साथ–साथ हम इस अनदेखे किए जाते रहे विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए पैरवी कार्य भी करते हैं कि कैसे पितृसत्ता के अंतर्गत किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं की यौनिकता को नियंत्रित किए जाने से छोटी उम्र में जबरन विवाह और यौन सम्बन्ध बनाए जाने को बढ़ावा मिलता है।